

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-80/2021 - 1362

/पटना, दिनांक-22/5/21

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह बि0 प्र0 से0
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुंगेर जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 03 पथ निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के गया जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 03 पथ निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 4.123 कि0 मी0, के निर्माण अनुरक्षण सहित राशि 331.281 लाख अर्थात् कुल राशि रू0 331.281 लाख (तीन करोड़ एकतीस लाख अठाइस हजार एक सौ रू0 मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क 0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई (कि0 मी0)	निर्माण की राशि (अनुरक्षण सहित) (लाख)	कुल राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Gaya	KhijarSarai	Neemchak Bathani	गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी के अधीन Nadra to Mahakar तक पथ निर्माण कार्य	01.505	134.745	134.745
2	Gaya	KhijarSarai	Neemchak Bathani	गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी के अधीन Adampur Sarwadaha Road to Tetariya तक पथ निर्माण कार्य	01.288	104.712	104.712
3	Gaya	KhijarSarai	Neemchak Bathani	गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी के अधीन Mandai Hemara Road to Chatni तक पथ निर्माण कार्य	01.133	91.824	91.824
			Total		4.123	331.281	331.281

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पॉच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-८०/२०२१ के पृ० सं०-०३/टि० पर प्राप्त है।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-१७/२०२१ के पृ० सं०- /टि० पर प्राप्त है।
10. ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-३७५८ दिनांक ३१.०५.२०१७ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-८०/२०२१ के पृ० सं०- /टि० पर दिनांक को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-८०/२०२१ - १३६२

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-८०/२०२१ - १३६२

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-८०/२०२१ - १३६२

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, गया/उप विकास, आयुक्त गया/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्रांडा/मुख्य अभियंता-१, पटना ग्रा० का० वि०/मु० अ०-४ (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉंचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव